अध्याय-1

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का क्रियाकलाप

अध्याय–1

1. राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का क्रियाकलाप

परिचय

1.1 31 मार्च 2017 को बिहार में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा0क्षे0उ0) जिसमें राज्य सरकार की कम्पनियाँ तथा सांविधिक निगमें सम्मिलित है, की कुल संख्या 74 थी ***(परिशिष्ट–1.1)***, जो नीचे दर्शाया गया है :

तालिका सं0 1.1 : 31 मार्च 2017 को सा0क्षे0उ0 की संख्या

सा0क्षे0उ0 का प्रकार	कार्यशील सा0क्षे0उ0	अकार्यशील सा0क्षे0उ0[1]	कुल
सरकारी कम्पनियाँ[2]	27	44	71
सांविधिक निगमें	3	–	3
कुल	30	44	74

31 दिसम्बर 2017 तक 30 कार्यशील सा0क्षे0उ0 तथा 44 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 में से मात्र 16 कार्यशील सा0क्षे0उ0 तथा दो अकार्यशील सा0क्षे0उ0[3] ने वर्ष 2014–15 से 2016–17 के लिए अपने लेखाओं का अन्तिमीकरण किया था ***(परिशिष्ट 1.2)***। इन 18 सा0क्षे0उ0 के अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार, इनमें से 10 सा0क्षे0उ0 ने ₹ 278.18 करोड़[4] का लाभ कमाया, सात सा0क्षे0उ0 ने ₹ 1,437.93 करोड़[5] की हानि उठाई तथा शेष एक[6] सा0क्षे0उ0 बिना लाभ या हानि का रहा। अपने अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार इन सा0क्षे0उ0 ने 31 दिसम्बर 2017 तक ₹ 11,277.70 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया।

इन 18 सा0क्षे0उ0 ने राज्य सरकार के विनियोग पर 6.14 प्रतिशत का नकारात्मक प्रतिफल अर्जित किया। यह वर्ष 2014–15 से 2016–17 के बीच ली गई उधार की औसत लागत दर 8.49 प्रतिशत से काफी कम रहा। इस प्रकार, विगत तीन वर्षों में अपने लेखाओं को अंतिम रूप देने वाले 18 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश के परिणामस्वरूप राजकोष को लगभग ₹ 1,159.75 करोड़ की हानि हुई। शेष 56 सा0क्षे0उ0, जिनके द्वारा लेखाओं का अंतिमीकरण नही किया गया है, की हानि यदि हो तो, का आकलन नहीं किया जा सका।

31 मार्च 2017 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में 16,533 कर्मचारी थे (28 कार्यशील सा0क्षे0उ0 में 15,751 तथा 20 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 में 782)। अकार्यशील सा0क्षे0उ0 में तीन वर्षों से अधिक से कोई क्रियाकलाप नहीं था और उनमें ₹ 751.06 करोड़ का निवेश था।

---

[1] सा0क्षे0उ0 जहाँ विगत तीन वर्षो से अधिक से कार्यकलाप बंद है।

[2] सरकारी सा0क्षे0उ0 में वे कम्पनियाँ भी शामिल है जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45), 139(5) तथा 139(7) मे संदर्भित है।

[3] बिहार एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा स्काडा एग्रो बिजनेस कम्पनी लिमिटेड जिन्होंने अपने लेखाओ का क्रमशः 2015–16 तथा 2014–15 तक का अंतिमीकरण किया।

[4] ***परिशिष्ट–1.1*** का क्रम सं0 अ7, अ8, अ10, अ11, अ12, अ13, अ17, अ20, अ23, तथा स2।

[5] ***परिशिष्ट–1.1*** का क्रम सं0 अ5, अ16, अ18, अ19, अ 26, ब1 तथा स6।

[6] बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के व्ययों की प्रतिपूर्ति, सहायक कम्पनियों, जिनके लिए वह मुख्यतः कार्य करती है, द्वारा की जाती है।

अनुशंसा

चूँकि अकार्यशील एवं हानि वहन करने वाले सा0क्षे0उ0 के अस्तित्व में बने रहने से राजकोष से काफी अधिक मात्रा में राशि की बर्बादी होती हैं, राज्य सरकार द्वारा (i) सभी हानि वहन करने वाले सा0क्षे0उ0 के क्रियाकलाप एवं (ii) अकार्यशील सा0क्षे0उ0 की स्थिति तथा उनके समापन के प्रक्रिया के शुरूआत की समीक्षा की जा सकती है।

उत्तरदायित्व रूपरेखा

1.2 सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 139 तथा 143 द्वारा अधिशासित है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी0ए0जी0) द्वारा सनदी लेखाकारों (सी0ए0) की नियुक्ति सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में की जाती है और स्वयं इन कम्पनियों की पूरक लेखापरीक्षा की जाती है।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे सम्बन्धित विधानों द्वारा नियन्त्रित होती है, जिसका विवरण नीचे तालिका सं0 1.2 में दर्शाया गया है :

तालिका सं0 1.2 : सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा हेतु विधान

क्र0 सं0	सांविधिक निगम का नाम	सी0ए0जी0 को लेखापरीक्षा हेतु प्राधिकार	लेखापरीक्षा व्यवस्था
1	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	पथ परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33 (2) के अंतर्गत	एकमात्र सी0ए0जी0 के द्वारा लेखापरीक्षा
2	बिहार राज्य वित्तीय निगम	राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37 (6) के अंतर्गत	सनदी लेखाकारो द्वारा लेखापरीक्षा एवं सी0ए0जी0 द्वारा पूरक लेखापरीक्षा
3	बिहार राज्य भंडार निगम	राज्य भंडार निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31 (8) के अंतर्गत	सनदी लेखाकारो द्वारा लेखापरीक्षा एवं सी0ए0जी0 द्वारा पूरक लेखापरीक्षा

सी0ए0जी0 के प्रतिवेदन, सी0ए0जी0 (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्त्तें) अधिनियम 1971, के अन्तर्गत सरकार को समर्पित की जाती है जिसे विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

1.3 बिहार सरकार सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों द्वारा इन सा0क्षे0उ0 के मामलों पर नियंत्रण रखती है जिनके मुख्य कार्यपालक एवं निदेशक पर्षद में निदेशकों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

बिहार सरकार का अंश

1.4 सा0क्षे0उ0 में राज्य सरकार की हिस्सेदारी तीन व्यापक श्रेणियों के अन्तर्गत आती है, यथा–अंशपूँजी एवं ऋण, उपभोक्ताओं को अनुदान एवं अर्थसहाय्य के रूप में विशिष्ट बजटीय सहायता तथा सा0क्षे0उ0 द्वारा वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों की प्रत्याभूति।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश

1.5 31 मार्च 2017 को, 74 राज्य सा0क्षे0उ0 में राज्य सरकार, केन्द्र सरकार एवं अन्य के द्वारा ₹ 53,891.59 करोड़ के निवेश (अंश पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) का विवरण नीचे तालिका सं0 1.3 में दिया गया है (विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट–1.1*** में दर्शाया गया है)।

तालिका सं0 1.3 : 31 मार्च 2017 को सा0क्षे0उ0 में कुल निवेश

(₹ करोड़ में)

सा0क्षे0उ0 का प्रकार	अन्तिमीकृत लेखों की विवरणी	पूँजी			दीर्घावधि ऋण			कुल योग
		राज्य सरकार	अन्य[7]	योग	राज्य सरकार	अन्य[8]	योग	
कार्यशील सा0क्षे0उ0	2014–15 से 2016–17[9]	21,264.44	20,419.88	41,684.32	1,141.50	6,336.38	7,477.88	**49,162.20**
	2014–15 से पूर्व	263.59	31.30	294.89	3,324.03	359.41	3,683.44	**3,978.33**
योग		**21,528.03**	**20,451.18**	**41,979.21**	**4,465.53**	**6,695.79**	**11,161.32**	**53,140.53**
अकार्यशील सा0क्षे0उ0	2014–15 से 2016–17	5.12	2.50	7.62	12.60	0.00	12.60	**20.22**
	2014–15 से पूर्व	150.96	38.15	189.11	503.43	38.30	541.73	**730.84**
योग		**156.08**	**40.65**	**196.73**	**516.03**	**38.30**	**554.33**	**751.06**
कुल योग		**21,684.11**	**20,491.83**	**42,175.94**	**4,981.56**	**6,734.09**	**11,715.65**	**53,891.59**

स्रोत : लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार/सा0क्षे0उ0 द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

1.6 31 मार्च 2017 को, राज्य सा0क्षे0उ0 में प्रक्षेत्रवार निवेशों का संक्षिप्त विवरण तालिका सं0 1.4 में दिया गया है :

तालिका सं0 1.4 : सा0क्षे0उ0 में प्रक्षेत्रवार निवेश

प्रक्षेत्र का नाम	कार्यशील सा0क्षे0उ0		अकार्यशील सा0क्षे0उ0		कुल	कुल निवेश (₹ करोड़ में)	अंतिम पाँच वर्षों में निवेश (₹ करोड़ में)
	तीन वर्षों के लेखा सहित	तीन वर्षों के लेखा बिना	तीन वर्षों के लेखा सहित	तीन वर्षों के लेखा बिना			
ऊर्जा	6	3	0	0	9	49,333.19	39,492.32
सेवा	2	3	0	1	6	3,174.41	1,978.12
वित्त	2	3	0	4	9	590.82	-14.84[10]
विनिर्माण	2	0	0	13	15	446.94	13.78
अन्य	4	5	2	24	35	346.23	47.46
कुल	**16**	**14**	**2**	**42**	**74**	**53,891.59**	**41,516.84**

स्रोत : लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार/सा0क्षे0उ0 द्वारा दी गई सूचना।

[7] इसमें केन्द्र सरकार की अंश पूँजी तथा सात होल्डिंग कम्पनियों द्वारा ₹ 20,418.12 करोड़ का अपने 32 सहायक कम्पनियों में निवेश शामिल था।

[8] केन्द्र सरकार तथा वित्तीय संस्थाओं से ऋण शामिल।

[9] वर्ष 2014–15 तक के लेखाओं का न्यूनतम अन्तिमीकरण।

[10] निवेश में कमी का मुख्य कारण वित्त प्रक्षेत्र के सा0क्षे0उ0 द्वारा ऋणों का पुर्नभुगतान (अन्य में) रहा।

नवम्बर 2012 में तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बि0रा0वि0बो0) का पाँच कम्पनियों[11] में विघटन के परिणामस्वरूप सा0क्षे0उ0 में राज्य सरकार के निवेश का जोर ऊर्जा क्षेत्र में था। राज्य सरकार द्वारा की गई कुल निवेश ₹ 26,665.67 करोड़ (अंश में ₹ 21,684.11 करोड़ तथा ऋण में ₹ 4,981.56 करोड़) में से ₹ 15,180.19 करोड़ (अंश में ₹ 21,156.91 करोड़ तथा ऋण में (–) ₹ 5,976.72 करोड़) का निवेश वर्ष 2012–17 के दौरान किया गया था।

1.7 वित्त लेखें तथा सा0क्षे0उ0 के अभिलेखों में सरकार के अंशों एवं ऋणों में दर्शाये गये आँकड़ों के अन्तर को नीचे दिये तालिका सं0 1.5 में दर्शाया गया है[12] :

तालिका सं0 1.5 : 31 मार्च 2017 को लम्बित अंश तथा ऋण

(₹ करोड़ में)

निवेश	वित्त लेखें के अनुसार	सा0क्षे0उ0 के अभिलेखों के अनुसार	अन्तर[13]
अंश	15,254.21	21,684.11	(6,429.90)
ऋण	19,040.21	4,981.56	14,058.65

स्रोत : सा0क्षे0उ0 तथा वित्त लेखे, बिहार सरकार, 2016–17 द्वारा दी गई सूचना

वित्त लेखें के आँकड़ों तथा सा0क्षे0उ0 के अभिलेखों में राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों के अन्तर को नीचे तालिका सं0 1.6 में दर्शाया गया है :

तालिक सं0 1.6 : 31 मार्च 2017 को प्रत्याभूति बकाया

(₹ करोड़ में)

गारंटी बकाया	वित्त लेखें के अनुसार राशि	सा0क्षे0उ0 के लेखाओं के अनुसार राशि	अन्तर
	4,134.95	3,558.19	576.76

स्रोत : सा0क्षे0उ0 तथा वित्त लेखें, बिहार सरकार 2016–17 द्वारा समर्पित सूचना

अनुशंसा

प्रशासी विभागों तथा सा0क्षे0उ0 को समयबद्ध तरीके से लेखों में अन्तर का समाशोधन करने के लिए शीघ्र कदम उठाने चाहिए।

[11] बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर जेनेरेशन कम्पनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड।

[12] राज्य वित्त प्रतिवेदन, (2016–17) बिहार सरकार में विस्तार में उपलब्ध।

[13] अंतर का मुख्य कारण ₹ 8,923.96 करोड़, जिसमें ऊर्जा कम्पनियों में राज्य सरकार के ₹ 2,739.62 करोड़ की सरकारी अंश पूँजी का भूलवश सम्मिलित नही किया जाना शामिल है, एवं ₹ 14,107.19 करोड़ के सरकारी ऋण का बि0रा0वि0बो0 के पाँच अलग–अलग उर्जा कम्पनियों में पुनर्गठन सम्बन्धित अभिलेख वित्त लेखे में शामिल नही किया जाना है।

1.8 सा0क्षे0उ0 में सरकार के अंशदान की स्थिति नीचे वर्णित है :

तालिका सं0 : 1.7 सा0क्षे0उ0 में सरकार के अंशदान की स्थिति

(₹ करोड़ में)

विवरण	सा0क्षे0उ0 की संख्या	राशि
अकार्यशील सा0क्षे0उ0 में नाममात्र का[14] सरकारी अंशदान	23[15]	0.23
अकार्यशील सा0क्षे0उ0 जहाँ कोई व्यय नहीं है	38	0.00
अकार्यशील सा0क्षे0उ0 द्वारा 2015–16 एवं 2016–17 की अवधि में प्राप्त अंश, ऋण एवं अनुदान/सहायता	3[16]	71.61
सा0क्षे0उ0 की बकाया ऋणें जिन पर विगत पाँच वर्षों से ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है	32	5,145.60

स्रोत : बिहार सरकार के वर्ष 2016–17 के वित्त लेखा एवं सा0क्षे0उ0 द्वारा प्रदान की गई सूचना

अनुशंसा

1. **बिहार सरकार को 27[17] अकार्यशील सा0क्षे0उ0 के समापन के लिए उनकी स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए।**

2. **इसी तरह बिहार सरकार का सभी सा0क्षे0उ0 के समापन/विनिवेश के लिए समीक्षा करनी चाहिए जहाँ इसकी हिस्सेदारी नाममात्र की है। ऐसी कम्पनियों के कर्मचारियों को रिक्तियों वाले सरकारी विभागों को रिवर्स प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा सकता है जैसा कि राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है।**

3. **चूँकि 32 सा0क्षे0उ0 द्वारा मूलधन के पुर्नभुगतान की संभावना, जिनके द्वारा अभी तक ऋण पर ब्याज का भी भुगतान नहीं किया गया है, नगण्य है, अगर अस्तित्वहीन नहीं है तो राज्य सरकार को, पुराने ऋणों को अंश पूँजी में परिवर्तित करने एवं भविष्य में भुगतान, अगर कोई हो तो, उसे अनुदान के रूप में देने पर विचार करना चाहिए, जब तक कि इनमें से कुछ सा0क्षे0उ0 को बन्द करने की समीक्षा नहीं होती।**

लेखाओं के अन्तिमीकरण के बकाये

1.9 कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कम्पनियों के प्रत्येक वित्तीय विवरणी का अन्तिमीकरण सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के अन्दर अर्थात् सितम्बर के अंत तक करना होता है। ऐसा नहीं करने पर अधिनियम में दण्ड का प्रावधान है, जिसमें सम्बन्धित कम्पनी का प्रत्येक अधिकारी, जो ऐसा चूक करता है, को एक साल तक के कारावास की सजा या न्यूनतम ₹ पचास हजार तक जुर्माना, जो ₹ पाँच लाख तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों हो सकती है।

---

[14] ₹ एक करोड़ से कम के अंश तथा ऋण।

[15] स2, स8, स9, स10, स11, स12, स13, स14, स21, स22, स23, स24, स25, स26, स28, स30, स35, स36, स37, स38, स39, स41 एवं स42 (*परिशिष्ट 1.1*) ।

[16] बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड तथा बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड।

[17] 44 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 (घटाव) पाँच सा0क्षे0उ0 जिनको बंद किए जाने की प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है (घटाव) 12 सा0क्षे0उ0 जिनके लिए राज्य सरकार ने समापन आदेश निर्गत किया है।

संविधिक निगमों के मामले में उनके लेखाओं का अन्तिमीकरण, लेखापरीक्षा तथा विधायिका के समक्ष प्रस्तुतीकरण, उनसे सम्बन्धित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होता है।

19 कार्यशील सा0क्षे0उ0 के निदेशक जो एक ही समय पर विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर कार्यरत थे और कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दण्ड के लिए उत्तरदायी है, तथा दो सांविधिक निगमों[18] के निदेशक जिन्होंने विधायिका के द्वारा बनाए गए सम्बन्धित निगमों के कानून का उल्लंघन किया है, की विवरणी ***परिशिष्ट–1.3 (क) एवं (ख)*** में दिया गया है।

31 दिसम्बर 2017 को 19 कार्यशील कम्पनियों एवं दो सांविधिक निगमों के लेखें क्रमशः 23 वर्ष एवं 11 वर्ष की अवधि के लिये बकाया थे, जो ***परिशिष्ट–1.4*** में वर्णित है। लेखाओं के अन्तिमीकरण में विलम्ब के परिणामस्वरूप एक निर्धारित समय के बाद महत्वपूर्ण रिकॉर्ड अनुपलब्ध हो जाते है अथवा नष्ट हो जाते है, जिसके कारण तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने, धोखाधड़ी और दुरूपयोग की सम्भावनाएँ रहती है।

30 कार्यशील सा0क्षे0उ0 में से नौ सा0क्षे0उ0[19] ने अपने वर्ष 2016–17 के लेखाओं का अन्तिमीकरण किया है एवं शेष 21 सा0क्षे0उ0 में 142 लेखाओं[20] का बकाया है। 21 सा0क्षे0उ0 में से तीन सा0क्षे0उ0 का लेखा एक वर्ष के लिए, 11 सा0क्षे0उ0 का दो से पाँच वर्षो के लिए एवं सात सा0क्षे0उ0 का पाँच वर्ष से ज्यादा के लिए बकाया थे जिसका विवरण ***परिशिष्ट–1.4*** में है।

1.10 उपर्युक्त के अतिरिक्त, 31 दिसम्बर 2017 को सभी अकार्यशील सा0क्षे0उ0 के लेखें बकाए थे। 44 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 में से पाँच सा0क्षे0उ0 पाँच से 18 वर्षों[21] की अवधि से समापन की प्रक्रिया में थे, जिनके 101 लेखे पाँच से 26 वर्षों की अवधि के लिए बकाया थे। शेष 39 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 के लेखें के बकाया की विवरणी तालिका सं0 1.8 में दी गई हैं :

तालिका सं0 1.8 : अकार्यशील सा0क्षे0उ0 के लेखाओं का बकाया

वर्ष	अकार्यशील सा0क्षे0उ0 की सं0	बकाया लेखें की सं0	अवधि जिनके लिए लेखा बकाया में थे	वर्षों की संख्या जिसके लिए लेखे बकाया थें
2014–15	35	935	1977–78 से 2014–15	10 से 38
2015–16	35	952	1977–78 से 2015–16	8 से 39
2016–17	39	1,029	1977–78 से 2016–17	1 से 40

1.11 राज्य सरकार ने 10 कार्यशील सा0क्षे0उ0 में ₹ 4,476.54 करोड़ [अंश : ₹ 27.28 करोड़ (तीन सा0क्षे0उ0), ऋण : ₹ 2,074.94 करोड़ (छः सा0क्षे0उ0), पूँजीगत अनुदान : ₹ 333.45 करोड़ (चार सा0क्षे0उ0) अन्य (अर्थसहाय्य) : ₹ 1,495.22 करोड़ (तीन सा0क्षे0उ0) तथा प्रत्यामूति : ₹ 545.65 करोड़ (चार सा0क्षे0उ0)] की बजटीय सहायता उन वर्षों में प्रदान किया था, जिन वर्षों में उनके लेखाओं का अन्तिमीकरण नहीं हुआ था जैसा कि ***परिशिष्ट–1.5*** में दिया गया है। इनमें से 2014–17 की अवधि में

[18] बिहार राज्य पथ परिवहन निगम एवं बिहार राज्य भंडारण निगम।

[19] ***परिशिष्ट–1.1*** का अ8, अ11, अ15, अ16, अ17, अ18, अ19, अ20 एवं ब1।

[20] एक लेखा प्रति वर्ष के आधार पर।

[21] कुमारधुवी मेटल कास्टिंग एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड 17.08.1999 से, बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम लिमिटेड 25.08.2008 से, बिहार राज्य फिनिस्ड लेदर्स निगम लिमिटेड 25.08.2008 से, बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड 4.10.2012 से तथा बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड 4.10.2012 से।

₹ 2,467.06 करोड़ का निवेश सात कार्यशील सा0क्षे0उ0 में किया गया था जिनके लेखें तीन वर्षों से अधिक की अवधि के लिए बकाया थे, उसमें ₹ 1,414.79 करोड़ का निवेश पाँच सा0क्षे0उ0[22] में 2016–17 में किया गया था।

इसके अतिरिक्त, जैसा कि ***परिशिष्ट–1.5*** में दिया गया है, राज्य सरकार ने 10 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 में ₹ 1,007.23 करोड़ (अंश : ₹ 45.12 करोड़, ऋण : ₹ 561.28 करोड़, पूँजीगत अनुदान : ₹ 32.33 करोड़, अन्य (अर्थसहाय्य) : ₹ 125.16 करोड़ एवं प्रत्याभूति : ₹ 243.34 करोड़) के बजटीय सहायता का विस्तार उन वर्षों में किया था, जिनके लेखाओं का अन्तिमीकरण नहीं हुआ था। इनमें से 2014–15 से 2016–17 की अवधि में ₹ 71.61 करोड़ का निवेश तीन अकार्यशील सा0क्षे0उ0[23] में किया गया था जिसमें से 2016–17 में ₹ 70.61 करोड़ का ऋण एवं अनुदान दो कम्पनियों बि0रा0ची0नि0लि0 (₹ 69.27 करोड़[24]) एवं बि0रा0नि0नि0लि0 (₹ 1.34 करोड़) को दी गई थी।

राज्य सरकार द्वारा उपर्युक्त सा0क्षे0उ0, जिनके लेखें बकाया थे, को बजटीय सहायता के विस्तार का निर्णय अविवेकपूर्ण था क्योंकि राज्य सरकार के पास इन सा0क्षे0उ0 के वित्तीय सुदृढ़ता को आकलित करने का कोई आधार नहीं था। उक्त तथ्य इससे भी स्पष्ट होता है कि जिन 32 सा0क्षे0उ0 द्वारा राजकीय ऋण प्राप्त किया गया था, उनके द्वारा ब्याज का भुगतान भी नहीं किया गया।

अनुशंसा

1. **वित्त विभाग और सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य सा0क्षे0उ0 अपने लेखों को अद्यतन करने के लिए शीघ्र कदम उठायें ताकि इन सा0क्षे0उ0 के निदेशक कम्पनी अधिनियम तथा राज्य सांविधिक निगम के सम्बन्धित अधिनियम का निरन्तर उल्लंघन नहीं करें।**
2. **वित्त विभाग तथा सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना चाहिए कि बजटीय सहायता का विस्तार सिर्फ उन्हीं सा0क्षे0उ0 के लिए किया जाए, जिनके लेखें अद्यतन है।**

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण

1.12 सांविधिक निगमों के सम्बन्धित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, सी0ए0जी0 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को वार्षिक आम सभा में अनुमोदन के पश्चात् जल्द ही विधानमंडल के पटल पर उपस्थापित करने की जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन यह देखा गया कि राज्य सरकार तीन सांविधिक निगमों पर सी0ए0जी0 के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पृ0ले0प0प्र0) को अधिनियम के इस प्रावधान के तहत उपस्थापित करने में विफल रही जैसा कि नीचे तालिका सं0 1.9 में दर्शाया गया है :

[22] बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड, बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड एवं बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड।

[23] बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड (बि0रा0नि0नि0लि0), बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड (बि0रा0ची0नि0लि0) तथा बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड।

[24] बन्द चीनी मिलों के सेवानिवृत कर्मचारियों को बकाया वेतन के भुगतान के लिए विस्तारित।

तालिका सं0 1.9 : पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के विधानमंडल में प्रस्तुतीकरण की स्थिति

क्रम सं0	सांविधिक निगम का नाम	वर्ष जिसकी पृ0ले0प0प्र0 विधानमंडल में प्रस्तुत की गई	वर्ष जिसका पृ0ले0प0प्र0 विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं की गई	
			पृ0ले0प0प्र0 का वर्ष	सरकार को जारी करने की तिथि[25]
1.	बिहार राज्य भंडारण निगम	2007–08	2008–09	28 फरवरी 2011
			2009–10	8 फरवरी 2014
			2010–11	20 जनवरी 2015
2.	बिहार राज्य वित्त निगम	2014–15	2015–16	16 दिसम्बर 2016
3.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	1973–74	1974–75 से 2005–06 (32) *विवरण निम्नवत है*	
			2001–02	26 अक्टूबर 2007
			2002–03	25 जनवरी 2010
			2003–04	20 मई 2014
			2004–05	10 फरवरी 2015
			2005–06	29 सितम्बर 2015

विगत पाँच वर्षों में बिहार राज्य भंडारण निगम को राज्य सरकार ने ₹ 47.17 करोड़ का अनुदान इस तथ्य के बावजूद दिया कि इस निर्णय हेतु कोई लेखा नहीं थी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बि0रा0प0परि0नि0) के वित्तीय जवाबदेही में कमियाँ इतनी गम्भीर थी कि मई 2014 से सितम्बर 2015 तक में बि0रा0प0परि0नि0 के 2003–04 से 2005–06 तक के अन्तिमीकृत लेखाओं पर सी0ए0जी0 ने मंतव्य देने से मना कर दिया। राज्य सरकार ने 2006–17 के दौरान बि0रा0प0परि0नि0 को ₹ 775.01 करोड़ का ऋण दिया, जबकि उसके लेखें बकाया थे तथा निगम की वित्तीय क्षमता का मूल्यांकन किया जाना संभव नहीं था। आगे, बि0रा0प0परि0नि0 ने न ही ऋण चुकाया और न ही ब्याज के देय ₹ 407.63 करोड़[26] का भुगतान किया।

अनुशंसा

वित्त विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि सांविधिक निगमों के पृ0ले0प0प्र0 विधानमंडल में यथाशीघ्र उपस्थापित किए जाए और ऐसा होने तक इन निगमों को अग्रेत्तर बजटीय सहायता का विस्तार ना किया जाए।

अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार सा0क्षे0उ0 का कार्य–निष्पादन

1.13 2014–15 से 2016–17 ***(परिशिष्ट–1.6)*** की अवधि के दौरान अपने लेखाओं को अन्तिम रूप देने वाले 18 सा0क्षे0उ0[27] के कार्य निष्पादन के आकलन हेतु उपयोग किये गये प्रमुख वित्तीय अनुपात तालिका सं0 – 1.10 में नीचे दिये गये है :

[25] राज्य निगमों ने लेखाओं के अन्तिमीकरण मे देर किया, जिसके कारण सम्बन्धित वर्षों के पृ0ले0प0प्र0 बनाने और प्रस्तुत करने मे विलम्ब हुआ।

[26] 2010–11 से 2016–17.

[27] अकार्यशील सा0क्षे0उ0 या वैसे सा0क्षे0उ0 जिनकी लेखाएँ बकाया मे है उनके वित्तीय अनुपात का आकलन नही किया जा सकता।

तालिका सं0 1.10 : कार्यशील सा0क्षे0उ0 के प्रमुख मापदण्ड					
विवरण	मुख्य मापदण्ड (प्रतिशत में)	2014–15	2015–16	2016–17	औसत
लाभकारी	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल[28]	9.62	3.63	1.31	4.85
	निवेश पर प्रतिफल[29]	9.62	3.63	1.31	4.85
	अंश पर प्रतिफल[30]	7.81	3.02	0.61	3.81
अलाभकारी	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	–18.77	–8.89	–28.91	–18.86
	निवेश पर प्रतिफल	–9.18	–4.61	–15.10	–9.63
	अंश पर प्रतिफल	—[31]	–33.74	–18.06	–25.90
कुल	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	–2.79	–1.42	–4.04	–2.75
	निवेश पर प्रतिफल	–1.97	–1.11	–3.16	–2.08
	अंश पर प्रतिफल	–18.16	–8.45	–9.51	–12.04
उधारी की लागत		**8.73**	**8.74**	**8.00**	**8.49**
स्रोत : सा0क्षे0उ0 के अंतिमीकृत लेखों के सूचना के अनुसार					

1.14 लाभ में योगदान देने वाले बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (₹ 107.71 करोड़), बिहार स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (₹ 93.44 करोड़), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड (₹ 28.51 करोड़) तथा बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (₹ 22.96 करोड़) थे। इन कम्पनियों का निवेश पर प्रतिफल 2014–17 के दौरान 18.94 से 106.82 के बीच था। अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार अधिक हानि वहन करने वाले सा0क्षे0उ0 में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (₹ 905.36 करोड़) तथा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (₹ 513.44 करोड़) थे।

1.15 राज्य सरकार ने सा0क्षे0उ0 के लिए कोई लाभांश नीति नहीं बनाई है। इसके फलस्वरूप, यद्यपि ₹ 7,810.59 करोड़[32] सरकारी अंश वाले 10 सा0क्षे0उ0 ने कुल ₹ 278.18 करोड़ का लाभ कमाया, परन्तु सिर्फ दो सा0क्षे0उ0, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड तथा बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड ने क्रमशः ₹ तीन करोड़ तथा ₹ 1.05 करोड़ का लाभांश दिया, जो इन सा0क्षे0उ0 के कुल लाभ का 4.91 प्रतिशत था।

अनुशंसा

वित्त विभाग लाभ अर्जित करने वाले सा0क्षे0उ0 में निवेशित अंश पूँजी पर निर्दिष्ट लाभांश के भुगतान हेतु उत्तर प्रदेश सरकार (अंश पूँजी का पाँच प्रतिशत) और मध्य प्रदेश सरकार (कर के बाद लाभ का 20 प्रतिशत) के परिपाटी के आधार पर लाभांश नीति तैयार कर सकती है।

1.16 कम्पनी अधिनियम 2013 यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक कम्पनी के निदेशक मंडल की एक वर्ष में कम से कम चार वार्षिक बैठक हो। हालाँकि यह देखा गया है कि 27 कार्यशील कम्पनियों में से 14 कम्पनियों ने 2014–17 के दौरान चार से कम बैठकों का आयोजन किया।

[28] नियोजित पूँजी पर प्रतिफल = (लाभांश कर तथा ब्याज से पूर्व लाभ)/नियोजित पूँजी।
[29] निवेश पर प्रतिफल (आर0ओ0आई0) = (लाभांश कर तथा ब्याज से पूर्व लाभ/हानि) / निवेश।
[30] अंश पर प्रतिफल (आर0ओ0ई0) = (करोपरान्त लाभ – पूर्वाधिकार लाभांश)/ अंशधारक निधि।
[31] अंश पर प्रतिफल की गणना नहीं की गई क्योंकि संचित हानि प्रदत्त पूँजी से अधिक थी।
[32] अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार शेयर धारकों की निधि।

अकार्यशील सा0क्षे0उ0 का समापन

1.17 31 दिसम्बर 2017 तक 44 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 (सभी कम्पनियाँ) थी। इनमें से पाँच[33] सा0क्षे0उ0 ने विगत पाँच से 18 वर्षों के दौरान समापन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी, जो अधिकारिक परिसमापक, पटना एवं राँची उच्च न्यायालय के पास लम्बित है। इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा 12 सा0क्षे0उ0 की समापन प्रक्रिया को प्रारंभ करने के आदेश दिए गए है लेकिन सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अंतिम कार्यवाई अभी तक लम्बित है। इन 12 सा0क्षे0उ0 के समापन की प्रक्रिया की स्थिति निम्नानुसार है : (i) सितम्बर 2016 से नवम्बर 2017 के दौरान, चार सा0क्षे0उ0[34] के समापन की प्रक्रिया कम्पनी रजिस्ट्रार के पास उठाये गये थे, (ii) चार अन्य सा0क्षे0उ0[35] के समापन की प्रक्रिया विभिन्न न्यायालयों में लम्बित थे और (iii) अन्य चार सा0क्षे0उ0[36] के लेखाओं में विलम्ब था, जिसके कारण समापन प्रक्रिया के प्रारम्भ होने में विलम्ब हुआ। 2016–17 में किसी सा0क्षे0उ0 का समापन नहीं हुआ।

अनुशंसा

जिन चार सा0क्षे0उ0 की समापन प्रक्रिया लेखाओं में विलम्ब के कारण लम्बित है, उनसे सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग लेखाओं का शीघ्र अन्तिमीकरण सुनिश्चित करें।

लेखाओं पर टिप्पणियाँ

1.18 बीस[37] कार्यशील कम्पनियों ने 36 अंकेक्षित लेखाओं को 2016–17[38] के दौरान महालेखाकार को प्रेषित किया, जिसमें से 19 कम्पनियों की 1991–92 से 2016–17 की अवधि के लिए 27 लेखाओं को पूरक लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया गया। सी0ए0जी0 द्वारा नियुक्त सांविधिक अंकेक्षकों तथा सी0ए0जी0 द्वारा पूरक लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में यह इंगित किया गया कि लेखाओं के संधारण की गुणवत्ता में सुधार की काफी जरूरत है। सांविधिक लेखा परीक्षक और सी0ए0जी0 के टिप्पणियों की कुल मौद्रिक मूल्य तालिका सं0 1.11 पर दी गई है।

---

[33] कुमारधुबी मेटल कास्टिंग एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड, 17.08.1999 से, बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम 25.08.2018 से, बिहार राज्य फिनिस्ड लेदर्स निगम लिमिटेड 25.08.2008 से, बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड 04.10.2012 से एवं बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड 04.10.2012 से।

[34] बिहार राज्य डेयरी कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, आरा, स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, खगौल एवं स्काडा एग्रो वाणिकी कम्पनी लिमिटेड, खगौल।

[35] बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिचाई कॉरपोरेशन लिमिटेड, बिहार राज्य एग्रो इंडस्ट्रीज विकास निगम, बिहार राज्य निर्माण निगम एवं बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड।

[36] बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड, बिहार स्टेट फार्मास्यूटिकल एवं केमिकल्स लिमिटेड, बिहार स्टेट टैनिन एक्सट्रैक्ट लिमिटेड एवं बिहार सोलवेन्ट एवं कैमिकल्स लिमिटेड।

[37] ***परिशिष्ट 1.1*** के क्रम सं0. अ2, अ4, अ5, अ6, अ7, अ8, अ10, अ11, अ13, अ15, अ16, अ17, अ18, अ19, अ20, अ24, अ25, अ26, अ27 तथा ब1।

[38] अक्टुबर 2016 से दिसम्बर 2017 की अवधि के दौरान।

तलिका सं0 1.11 : कार्यशील कम्पनियों के लेखाओं पर टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	विवरण	2014–15		2015–16		2016–17	
		घटित संख्या	राशि	घटित संख्या	राशि	घटित संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	2	692.89	7	35.23	5	25.61
2.	हानि में कमी	4	121.18	3	233.50	4	114.74
3.	महत्वपूर्ण तथ्यों का अप्रकटीकरण	2	401.37	1	0.70	7	107.49
4.	वर्गीकरण की त्रुटियाँ[39]	7	1,088.69	4	11,653.82	2	25.38

वर्ष के दौरान, सांविधिक अंकेक्षकों ने 25 कम्पनियों[40] द्वारा अन्तिमीकृत 52 लेखाओं[41] पर सशर्त प्रमाण पत्र दिए गए। कम्पनियों द्वारा लेखांकन मानकों का अनुपालन असंतोषजनक रहा क्योंकि 12[42] कम्पनियों के 19 लेखाओं पर 85 मामलों में लेखांकन मानकों का अनुपालन नहीं किया गया। अग्रेत्तर, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के वर्ष 1991–92, 1992–93 एवं 1993–94 के तीन लेखाओं, बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2008–09 से 2015–16 के आठ लेखाओं तथा बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड के वर्ष 2001–02 एवं 2002–03 के दो लेखाओं पर सी0ए0जी0 ने गम्भीर खामियाँ होने के कारण मंतव्य देने से मना कर दिया।

अनुशंसा

वित्त विभाग तथा संबद्ध प्रशासनिक विभागों को तुरन्त उन 25 कम्पनियों के क्रियाकलापों की समीक्षा करनी चाहिए जहाँ सांविधिक लेखापरीक्षकों ने सशर्त प्रमाण–पत्र दिए थे तथा तीन कम्पनियों पर जहाँ सी0ए0जी0 ने मंतव्य देने से मना कर दिया था।

लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया

कंडिकाएँ

1.19 आठ लेखापरीक्षा कंडिकाओं को (मई 2017 से जुलाई 2017 तक) कम्पनी प्रबंधन तथा सम्बन्धित विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को छः सप्ताह के अंदर उत्तर प्रेषित करने के निवेदन के साथ निर्गत किया गया। चार लेखापरीक्षा कंडिकाओं एवं एक लेखापरीक्षा कंडिका का जवाब क्रमशः प्रबंधन एवं उर्जा विभाग से प्राप्त हुआ जबकि चार लेखापरीक्षा कंडिकाओं एवं सात लेखापरीक्षा कंडिकाओं का जवाब अब तक (मार्च 2018 तक) क्रमशः प्रबंधन तथा विभाग से अप्राप्त था।

---

[39] तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाता के प्रारूप तथा लेखाओं के वर्गीकरण के नियमो मे बदलाव के कारण वर्ष 2014–16 मे वर्गीकरण की त्रुटियों की अधिकता थी।

[40] कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ (20) एवं अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ (5)।

[41] कार्यशील सरकारी कम्पनियो के लेखे (36) एवं अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ (16)।

[42] ***परिशिष्ट 1.1*** के क्रम सं0 अ2, अ4, अ10, अ15, अ16, अ17, अ18, अ19, अ24, अ27, ब1 तथा स6।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर उत्तरवर्ती क्रिया

लम्बित जवाब

1.20 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी0ए0जी0) के प्रतिवेदन लेखापरीक्षा जाँच की प्रक्रिया की परिणति को दर्शाता है। अतः यह आवश्यक है कि इनमें कार्यपालिका की उचित एवं ससमय प्रतिक्रिया परिलक्षित हो। वित्त विभाग, बिहार सरकार ने सभी प्रशासकीय विभागों को यह निर्देश दिया (अप्रैल 2015) कि कोपू के प्रश्नावली की प्रतीक्षा किए बिना भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित कंडिकाओं/समीक्षाओं का उत्तर/स्पष्टीकरण से सम्बन्धित टिप्पणियाँ निर्धारित प्रपत्र में विधायिका में प्रस्तुतीकरण के तीन माह की अवधि के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। अप्राप्त स्पष्टीकरण टिप्पणी की स्थिति तालिका सं0 1.12 में दर्शाया गया है :

तालिका सं0 1.12 : अप्राप्त स्पष्टीकरण टिप्पणियाँ (यथा 31 दिसम्बर 2017 को)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष (सा0क्षे0उ0)	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के विधायिका में प्रस्तुतीकरण की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में निष्पादन लेखापरीक्षा एवं कंडिकाओं की कुल संख्या		निष्पादन लेखापरीक्षा/कंडिकाओं की संख्या जिनका उत्तर/स्पष्टीकरण अप्राप्त थे	
		निष्पादन लेखापरीक्षा	कंडिकाएँ	निष्पादन लेखापरीक्षा	कंडिकाएँ
2011–12	01.08.2013	02	12	01	00
2012–13	15.07.2014	03	12	02	05
2013–14	07.04.2015	02	14	01	11
2014–15	18.03.2016	02	14	01	11
2015–16	27.03.2017	04	12	04	11
कुल		**13**	**64**	**09**	**38**

अनुशंसा

सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों को वित्त विभाग के निर्देशों (अप्रैल 2015) का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए तथा लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर जवाब/प्रतिक्रिया ससमय प्रेषित करना चाहिए।

कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर विचार विमर्श

1.21 31 दिसम्बर 2017 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सा0क्षे0उ0) में उद्धृत एवं कोपू द्वारा विचार विमर्श की गई निष्पादन लेखापरीक्षा एवं कंडिकाओं की स्थिति को तालिका सं0 1.13 में दर्शाया गया है :

तालिका सं0 1.13 : लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लेखित निष्पादन लेखापरीक्षाओं / कंडिकाएँ जिन पर परिचर्चा की गई (31 दिसम्बर 2017 तक)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा / कंडिकाओं की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल		कंडिकाएँ जिनपर चर्चा हुई	
	निष्पादन लेखापरीक्षा	कंडिकाएँ	निष्पादन लेखापरीक्षा	कंडिकाएँ
2011–12	02	12	01	12
2012–13	03	12	01	07
2013–14	02	14	01	03
2014–15	02	14	01	03
2015–16	04	12	0	01
कुल	**13**	**64**	**04**	**26**

कोपू के प्रतिवेदनों का अनुपालन

1.22 अगस्त 2012 से मार्च 2016 की अवधि में राज्य विधायिका में कोपू[43] के चार प्रतिवेदनों की तीन कंडिकाओं से सम्बन्धित कार्यवाही टिप्पणियाँ, अप्राप्त (दिसम्बर 2017) थे जो तालिका सं0 1.14 में दर्शाई गई है :

तालिका सं0 1.14 : कोपू प्रतिवेदनों का अनुपालन

कोपू प्रतिवेदन का वर्ष	कोपू प्रतिवेदन की संख्या	कोपू प्रतिवेदन पर कुल अनुशंसाओं की संख्या	अनुशंसाएँ जिन पर कार्यवाही टिप्पणियाँ अप्राप्त थीं
2011–12	01	01	01
2012–13	–	–	–
2013–14	01	01	01
2014–15	–	–	–
2015–16	02	01	01
कुल	**04**	**03**	**03**

अनुशंसा

राज्य सरकार को कोपू प्रतिवेदनों पर कार्यवाही टिप्पणियाँ, शीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना चाहिए।

राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप सा0क्षे0उ0 की पुनर्संरचना

1.23 15 नवम्बर 2000 से पूर्व बिहार राज्य के बिहार और झारखण्ड राज्यों में पुनर्गठन के परिणामस्वरूप, 12 सा0क्षे0उ0[44] की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के बँटवारें का निर्णय (सितम्बर 2005) लिया गया था। तथापि, दिसम्बर 2017 तक इसका क्रियान्वयन मात्र पाँच सा0क्षे0उ0[45] के संबंध में ही पूरा किया गया है।

[43] उर्जा विभाग, बिहार सरकार से सम्बन्धित, जो सी0ए0जी0 के प्रतिवेदन वर्ष 1996–97 से 2008–09 में उद्धृत थे।

[44] ***परिशिष्ट 1.1*** के क्रम सं0 अ1, अ2, अ3, अ4, अ14, अ23, अ24, अ27, ब1, ब3, स5 तथा स20।

[45] बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, बिहार राज्य जलविद्युत शक्ति निगम लिमिटेड, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य भण्डारण निगम एवं बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड।

अनुशंसा

चूँकि राज्य के पुनर्गठन को लगभग दो दशक बीत चुके है, इसलिए राज्य सरकार को झारखण्ड सरकार के साथ मिलकर उन सात सा0क्षे0उ0 के सम्पत्तियों एवं दायित्वों के त्वरित बँटवारे हेतु आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए जिसमें 15 नवम्बर 2000 तक राज्य सरकार का ₹ 132.36 करोड़ का निवेश था।

उज्जवल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) के अन्तर्गत ऊर्जा क्षेत्र में सुधार

1.24 राज्य बिजली वितरण कम्पनियों के परिचालन एवं वित्तीय कौशल में सुधार के उद्देश्य से उर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने बिजली वितरण कम्पनियों में वित्तीय बदलाव के लिए उदय योजना का शुभारंभ नवम्बर 2015 को किया।

चिह्नित किए गए वित्तीय एवं परिचालन लक्ष्यों के साथ योजना के कार्यान्वयन के लिए उर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, बिहार सरकार एवं दो राज्य बिजली वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम), यथा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एस0बी0पी0डी0सी0एल0) एवं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एन0बी0पी0डी0सी0एल0) के बीच समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) (फरवरी 2016) हस्ताक्षरित हुआ।

31 दिसम्बर 2017 को एम0ओ0यू0 के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय एवं परिचालन लक्ष्यों के संबंध में हासिल की गई प्रगति एवं उपलब्धि को नीचे तालिका सं0 1.15 में वर्णित किया गया है :

तालिका सं0 1.15 : डिस्कॉम द्वारा उदय योजना का कार्यान्वयन

मापदण्ड	एम0ओ0यु0 के अनुसार लक्ष्य	लक्ष्य		उपलब्धि	
		एन0बी0पी0डी0सी0एल0	एस0बी0पी0डी0सी0एल0	एन0बी0पी0डी0सी0एल0	एस0बी0पी0 डी0सी0एल0
वित्तीय					
बिहार सरकार द्वारा बॉण्ड का निर्गमन	31 मार्च 2016	₹ 641.26 करोड़	₹ 913.26 करोड़	2016–17 में निर्गत	
	31 मार्च 2017	₹ 320.63 करोड़	₹ 456.63 करोड़	2016–17 में निर्गत	
डिस्कॉम द्वारा बॉण्ड का निर्गमन	31 मार्च 2017	₹ 320.63 करोड़	₹ 456.63 करोड़	2016–17 में निर्गत	
ए0टी0 एवं सी0 हानि [46] में कमी *(प्रतिशत में)*	2016–17	34 से कम	38 से कम	32.87 (प्राप्त)	42.75 (अप्राप्त)
	2017–18	28 से कम	30 से कम	34.34 (अप्राप्त)	38.35 (अप्राप्त)
ए0सी0एस0 – ए0सी0आर0 अंतर का उन्मूलन[47]	2016–17	₹ 1.25 प्रति इकाई से कम	1.39 प्रति इकाई से कम	₹ 0.53 प्रति इकाई (प्राप्त)	₹ 0.68 प्रति इकाई (प्राप्त)
	2017–18 (2018–19 तक उन्मूलन)	₹ 0.83 प्रति इकाई से कम	0.85 प्रति इकाई से कम	₹ 0.09 प्रति इकाई (प्राप्त)	₹ 0.37 प्रति इकाई (प्राप्त)
ससमय टैरिफ संशोधन		समय पर टैरिफ याचिका दाखिल की गई		विलम्ब नहीं	

[46] कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि, तकनीकी हानि, वाणिज्यिक हानि एवं विपत्र राशि की गैर प्राप्ति के कारण कमी का कुल योग है।

[47] आपूर्ति की औसत लागत (ए0सी0एस0) – औसत राजस्व उगाही (ए0आर0आर0) का अन्तर।

मापदण्ड	एम0ओ0यु0 के अनुसार लक्ष्य	लक्ष्य		उपलब्धि	
		एन0बी0पी0डी0सी0एल0	एस0बी0पी0डी0सी0एल0	एन0बी0पी0डी0सी0एल0	एस0बी0पी0 डी0सी0एल0
बिलींग क्षमता (प्रतिशत में)	2016–17	72 से ज्यादा	66 से ज्यादा	70.67 (अप्राप्त)	60.44 (अप्राप्त)
	2017–18	76 से ज्यादा	70 से ज्यादा	75.95 (अप्राप्त)	71.58 (प्राप्त)
संग्रहण क्षमता (प्रतिशत में)	2016–17	92 से ज्यादा	94 से ज्यादा	95.41 (प्राप्त)	88.85 (अप्राप्त)
	2017–18	95 से ज्यादा	100	86.45 (अप्राप्त)	86.13 (अप्राप्त)
परिचालन					
वितरण ट्रांसफॉरमर मिटरिंग (ग्रामीण) (संख्या में)	30 जुन 2017	54,724	43,789	0 (अप्राप्त)	0 (अप्राप्त)
फीडर मिटरिंग (ग्रामीण) (संख्या में)	30 जुन 2016	650	240	310 (अप्राप्त)	332 (प्राप्त)
ग्रामीण फीडर अंकेक्षण (संख्या में)	31 मार्च 2018	589	601	0 (कोई प्रगति नही)	0 (कोई प्रगति नही)
फीडर अलगाव (संख्या में)	31 मार्च 2018	0	396	0	0 (कोई प्रगति नही)
स्मार्ट मिटरिंग 200 के0डब्ल्यू0एच0 के उपर (संख्या में)	31 दिसम्बर 2019	38,433	2,35,985	0 (कोई प्रगति नही)	0 (कोई प्रगति नही)
विद्युत विहीन घरों तक बिजली की पहुँच (संख्या में)	2019–20	46.66 लाख	39.14 लाख	23.76 लाख (अप्राप्त)	28.10 लाख (अप्राप्त)
उजाला योजना के अंतर्गत एल0ई0डी0 का वितरण (संख्या में)		24.80 लाख	34 लाख	75.41 लाख (प्राप्त)	104.78 लाख (प्राप्त)

स्रोत : डिस्कॉम द्वारा दी गई/उदय के वेबसाईट पर उपलब्ध सूचना।

दोनों डिस्कॉम द्वारा, ए0टी0 एवं सी0 हानि में कमी और संग्रहन क्षमता को छोड़कर, समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति लगभग की गई। जहाँ तक परिचालन लक्ष्य की प्राप्ति की बात है, दोनों डिस्कॉम की स्थिति संतोषजनक नहीं थी, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। अभी भी 33.94 लाख घरों में विद्युत आपूर्ति उपलब्ध नहीं है। स्मार्ट मीटरिंग, डी0टी0 मीटरिंग (ग्रामीण), ग्रामीण फीडर अंकेक्षण और फीडर अलगाव क्षेत्र में दोनों डिस्कॉम द्वारा, तथा फीडर मीटरिंग (ग्रामीण) क्षेत्र में एन0बी0पी0डी0सी0एल0 द्वारा कोई उपलब्धि दर्ज नहीं की गई।